

हरिद्वार—रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

64वीं बैठक का एजेण्डा



दिनांक: 08 / 02 / 2018

समय:— अपरान्ह 05:00 बजे

स्थान:— आयुक्त कैम्प कार्यालय, देहरादून

193

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	मद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	64 वी बोर्ड बैठक मद सं०-०१	प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.07.2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	01
2	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-(०२)	हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, की 63 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.12.2017 की अनुपालन आख्या	02 से 08 तक
3	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०३	हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित प्रस्तावित आय-व्ययक प्राधिकरण की बोर्ड के सक्षम अनुमोदनार्थ प्रेषित।	09 से 13 तक
4	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०४	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 के आधार पर जोनल डेवलपमेन्ट प्लान पर जनसामान्य से सुझाव एवं आपत्ति आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।	14
5	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०५	मायापुर हरिद्वार स्थित वर्तमान नगर निगम कार्यालय परिसर को ध्वस्त करते हुए प्राधिकरण द्वारा आवासीय/व्यवसायिक योजना का विकास एवं निर्माण कार्य।	15
6	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०६	हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम कार्यालय निर्भित कराये जाने तथा नगर निगम हरिद्वार की कतिपय सम्पत्तियों को क्य किये जाने के सम्बन्ध में।	16
7	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०७	प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में निर्माणाधीन 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में।	17
8	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०८	हरिद्वार स्थित बस स्टैण्ड को प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थान्तरित करने के सम्बन्ध में।	18
9	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०९	हरिद्वार में वर्तमान बस अड्डे की भूमि पर पार्किंग स्थल एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के विकास के सम्बन्ध में।	19
10	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१०	ऋषिकेश नगर पालिका कार्यालय परिसर में पार्किंग एवं व्यवसायिक गतिविधियों के निर्माण के सम्बन्ध में।	20
11	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-११	उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1819 (2) दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण का विस्तार करते हुए हरिद्वार जिले के ऐसे भू-भाग जो पूर्व में हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थे को सम्मिलित किया गया है, की महायोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	21
12	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१२	हरिद्वार स्थित होटल अलकनंदा में नवीन होटल बनाने हेतु विधिक अनुमति एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।	22

13	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१३	उत्तराखण्ड परिवहन निगम डिपो कार्यशाला, ऋषिकेश में कन्ज्यूमर डीजल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रामाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।	23
14	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१४	हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु ₹०आर०पी० सॉल्यूशन तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।	24
15	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१५	हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण में ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति एवं अन्य डाटा सुरक्षित रखे जाने हेतु Server एवं Online UPS स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।	25
16	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१६	प्राधिकरण में संविदा के आधार पर एक ट्रांसपोर्ट प्लानर एवं एक पी०पी०पी०/आई०टी० एक्सपर्ट की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	26
17	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१७	हरिद्वार विकास क्षेत्रान्तर्गत गंगा के किनारे स्थित भवनों को एक रंग में रंगे जाने के सम्बन्ध में।	27
18	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१८	शासनादेश संख्या 476/V-2/20(आ०)१४/२०१५ दिनांक 21 मार्च 2016 के अन्तर्गत नियमित किये गये कार्यिकों को तदर्थ/अनियमित/संविदा पर तैनाती की तिथि से वित्तीय एवं सेवा लाभ तथा वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	28
19	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१९	ग्राम धृष्ट्याणी तल्ली, तपोवन, नरेन्द्रनगर, जिला-टिहरी गढवाल के विभिन्न खसरा नम्बरों के कृषि भू-उपयोग से पर्यटन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	29
20	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-२०	श्री हंस फाउण्डेशन की ओर से श्री विकांत पाठक पुत्र श्री सन्तराम पाठक द्वारा ग्राम बहादराबाद के खसरा न०. 51/२, ५३, ५४ तथा ५५ में स्थित 14591.00 वर्ग मी० भूमि पर चैरीटेबिल आई हास्पीटल के नियमण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	30
21	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-२१	श्री गौरव जैन पुत्र श्री महेश कुमार जैन द्वारा ग्राम मनोहरपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार के खसरा नम्बर 218, 225, 237 में स्थित भूमि जिसका क्षेत्रफल 4840.00 वर्गमी० हैं पर होटल नियमण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	31
22	64 वीं बोर्ड बैठक मद सं०-२२	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।	32

मद संख्या ६४-(०१)

प्राधिकरण की ६३वीं बोर्ड बैठक दिनांक २७.०७.२०१७ के कार्यवृत्त की पुष्टि:-

प्राधिकरण की ६३ वीं बोर्ड बैठक दिनांक २७.०७.२०१७ को आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि ६३ वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

५१

**हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की ६४वीं बोर्ड बैठक
दिनांक ०८-०२-२०१८ का कार्यवृत्त।**

प्राधिकरण की ६४वीं बोर्ड बैठक दिनांक ०८-०२-२०१८ को मा० अध्यक्ष, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में आयुक्त/अध्यक्ष कैम्प देहरादून के सभागार में आयोजित की गयी :-

बैठक की उपस्थिति :-

१. श्री दिलीप जावलकर, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / अध्यक्ष.एच.आर.डी.ए.
२. श्री नितिन सिंह भदौरिया, उपाध्यक्ष, एच०आर०डी००७
३. श्री सुनील पाण्यरी, अपर सचिव (सचिव.आवास विभाग के प्रतिनिधि)
४. श्री देवेन्द्र पालीवाल, अपर सचिव (प्रमुख सचिव, सिंचाई के प्रतिनिधि)
५. श्री एस०क०पन्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक (नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)
६. श्री ललित मोहन जुयाल, वरिष्ठ कोषाधिकारी (प्रमुख सचिव,वित्त के प्रतिनिधि)
७. मौ० मीसम, अधिशास्ती अभियन्ता, (प्रमुख सचिव,पेयजल के प्रतिनिधि)
८. श्री प्रदीप कुमार बन्सल, एस०एन०ए० (नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार के प्रतिनिधि)
९. श्री अजय कुमार गोयल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (जिलाधिकारी हरिद्वार के प्रतिनिधि)
१०. श्री गुरुमीत सिंह, अधिशास्ती अधिकारी, नगर पालिका, शिवालिक नगर
११. श्री ए०एस० मिश्रवाण, सहायक अभियन्ता (नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश के प्रतिनिधि)

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
पदेन सदस्य	पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा आयुक्त/ अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुगति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

मद संख्या-६४ (०१)

प्राधिकरण की ६३वीं बोर्ड बैठक दिनांक २७-०७-२०१७ के कार्यवृत्त /अनुपालना की पुष्टि

की गई।

Secretary

Vice Chairman

Chairman

मद संख्या 64 (02)
हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण, की 63 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.07.2017
की अनुपालन आख्या :-

मद सं०	विषय	निर्णय	अनुपालन
63, मद संख्या-१ (अ)	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डिवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने विषयक।	ऋषिकेश महायोजना भाग-ब (2011-2026) तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त ऋषिकेश महायोजना, हरिद्वार जोनल प्लान एवं रुडकी मास्टर प्लान सम्बन्धी कार्य को प्राथमिकता से समयान्तर्गत सम्पादित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि हरिद्वार महायोजना के 01 से 06 प्रखण्डों पर जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये हैं। शेष 05 प्रखण्डों पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। हरिद्वार महायोजना 2025 के अन्तर्गत स्थित प्रखण्डों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण बोर्ड बैठक के एजेण्डा मद संख्या 04 पर पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है। ऋषिकेश मास्टर प्लान का सर्वे कार्य पूर्ण होने के पश्चात बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान ड्राफ्ट की जांच हेतु नियोजन विभाग देहरादून को अधिकृत किया गया है। रुडकी मास्टर प्लान का सर्वे कार्य कार्यदायी संस्था मैसर्स सी०इ०ओ०इन्फो सिस्टम्स प्र०लि० द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। ऋषिकेश महायोजना एवं रुडकी महायोजना की प्रगति के सम्बन्ध में वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा स्वयं अवगत कराया जायेगा।
60, (३-ब)			

मद संख्या-64-02 (01.3)

60-(३.ब) ऋषिकेश महायोजना भाग-ब (2011-2026) तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा कार्य को अनुयन्त्र के अनुसार समयान्तर्गत सम्पादित न किये जाने पर मुख्य नियोजक द्वारा अवगत कराया गया है कि महायोजना के ड्राफ्ट को तैयार कर दिया गया जिस पर कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

60-(३.स) हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में सम्प्रिलिपि रुडकी क्षेत्र हेतु महायोजना तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया जिस पर कार्य को प्राथमिकता से समयान्तर्गत सम्पादित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

63-(५) प्रधानमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के 528 दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण कार्य किये जाने विषयक प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से अनुपालना /कार्यवाही से सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

63-(६) हरिद्वार नगर में पार्किंग व्यवस्था किये जाने विषयक प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई चर्चा उपरान्त सर्व-सम्मति से अनुपालना /कार्यवाही से सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

63-(१४) हरिद्वार में स्थित हर की पेड़ी क्षेत्र का पारम्परिक स्वरूप बरकरार रखते हुए उसके विकास एवं सौन्दर्यकरण कार्य किये जाने विषयक प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व-सम्मति से अनुपालना /कार्यवाही से सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

Secretary

N
Vice Chairman

B
Chairman

९६१

63, मद संख्या-2	<p>हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2016-17 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित प्रस्तावित आय-व्ययक प्राधिकरण की बोर्ड के सक्षम अनुमोदनार्थ प्रेषित</p>	<p>हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2016-17 का वास्तविक आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 का वास्तविक आय-व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रस्तावित आय-व्ययक को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>	<p>बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 का आय-व्ययक पृथक से मद संख्या 03 पर प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
63, मद संख्या-3	<p>Ease of doing Business के अन्तर्गत ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपचिति/विनियम-2011 (संशोधन-2015) यथासंशोधित-2016 को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।</p> <p>यथासंशोधित-2016 को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>Ease of doing business के अन्तर्गत ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपचिति/विनियम-2011 (संशोधन-2015) यथासंशोधित-2016 को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में भवन निर्माण एवं विकास उपचिति/विनियम-2011(संशोधन-2015) यथासंशोधित-2016 को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है जिसकी सूचना कार्यालय के पत्र संख्या 1610 दिनांक 17.08.2017 द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को भेजी गयी।</p> <p>अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
63, मद संख्या-4	<p>भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण तथा उपकर की प्राप्तियों को उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि में जमा कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर आवश्यक दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने का सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया।</p>	<p>भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर हेतु कुर्सी क्षेत्रफल की दरों का निर्धारण तथा उपकर की प्राप्तियों को उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि में जमा कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर आवश्यक दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने का सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव कार्यालय के पत्र संख्या 1670 दिनांक 22 अगस्त 2017 द्वारा शासन को भेजा जा चुका है। इस सम्बन्ध में शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।</p> <p>अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>

63, मद संख्या-5	<p>प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत "Affordable Housing in partnership" में दुर्बलआय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मिति से अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण आवश्यक लैण्ड बैंक की व्यवस्था करें तथा हरिद्वार के अतिरिक्त ऋषिकेश, रुडकी, लक्सर, भगवानपुर क्षेत्र में भी आवासीय योजना बनाये जाने की कार्यवाही की जाय।</p>	<p>प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत "Affordable Housing in partnership" में दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मिति से अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण आवश्यक लैण्ड बैंक की व्यवस्था करें तथा हरिद्वार के अतिरिक्त ऋषिकेश, रुडकी, लक्सर, भगवानपुर क्षेत्र में भी आवासीय योजना बनाये जाने की कार्यवाही की जाय।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत "Affordable Housing in partnership" में दुर्बल आय वर्ग के 528 E.W.S भवनों को निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।</p>
63, मद संख्या-6	<p>हरिद्वार नगर में पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में।</p>	<p>हरिद्वार नगर में पार्किंग व्यवस्था विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त हरिद्वार नगर हेतु प्रस्तावित पार्किंग स्थलों को अनुमोदित किया गया। अध्यक्ष, नगर पालिका, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका के पास एक भूमि पड़ी है जिसपर प्राधिकरण के साथ मिलकर पार्किंग विकसित की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव, हरिद्वार रुडकी विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि नगर पालिका की भूमि तथा एक अन्य स्थल का चयन कर ऋषिकेश में दो मल्टी लेवर पार्किंग विकसित की जाय।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा प्रथम चरण में विभिन्न चार स्थलों का चयन कर वाहनों की पार्किंग हेतु (MLCP) के रूप में विकसित किया जा रहा है।</p>
63, मद संख्या-7	<p>इन्द्रलोक स्थित आवासीय योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण स्टाफ आवास को नीलामी के माध्यम से विकाय किये जाने विषयक</p>	<p>इन्द्रलोक स्थित आवासीय योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, एच०आर०ड०१०४० स्टाफ आवास को नीलामी के माध्यम से विकाय किये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में इन्द्रलोक स्थित आवासीय योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, स्टाफ क्वाटर का पुनः मुल्यांकन अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं मानचित्रकार से कराया जा रहा है। तदनुसार नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
63, मद संख्या-8	<p>प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में कई वर्षों से अनिस्तारित सम्पत्तियों का शासनादेश संख्या 4912/८-आ-१-९९/३२ हड्डों/९७टी०१०१० दिनांक 04.11.1999 के अन्तर्गत अलोकप्रिय घोषित किये जाने तथा सम्पत्तियों का मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य तक कम किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर के बड़े-बड़े भूखण्डों को यदि छोटे आकार में बदल दिया जाये तो उनकी विकी हो सकती है। इसी तरह E.W.S.L.I.G भवनों प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करते हुए विकी की कार्यवाही की जाये।</p>	<p>प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में कई वर्षों से अनिस्तारित सम्पत्तियों का शासनादेश सं०-४९१२ / ९-आ-१-९९/३२ हड्डों/९७ टी.सी. दिनांक ०४-११-१९९९ के अन्तर्गत अलोकप्रिय घोषित किये जाने तथा सम्पत्तियों का मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य तक कम किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर के बड़े-बड़े भूखण्डों को यदि छोटे आकार में बदल दिया जाये तो उनकी विकी हो सकती है। इसी तरह E.W.S.L.I.G भवनों प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करते हुए विकी की कार्यवाही की जाये।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1543 दिनांक 09 अगस्त 2017 द्वारा कार्यालय में तैनात अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं मानचित्रकार को प्रस्ताव तैयार कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यवाही गतिमान है। अतः प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>

63, मद संख्या-9	श्री हरगोविन्द जुयाल सचिव, मार्डन स्कूल सोसायटी के नाम से संचालित जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 8 तक) के निर्मित भवन को शमन स्वीकृति किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी तदोपरान्त सी०बी०एस०इ० नियमों के अनुरूप मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।	श्री हरगोविन्द जुयाल सचिव, मार्डन स्कूल सोसायटी के नाम से संचालित जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 8 तक) के निर्मित भवन को शमन स्वीकृति किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी तदोपरान्त सी०बी०एस०इ० नियमों के अनुरूप मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि शमन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
63, मद संख्या-10	प्राधिकरण वाहन संख्या य०के०-०८-एम०-६३६३ एम्बेसेडर कार को निष्ठायोज्य घोषित करते हुए नीलाम किये जाने तथा उक्त के स्थान पर कार्यालय प्रयागर्थ ०१ वाहन क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इनोवा या होण्डा सिटी वाहन क्रय किया जाये।	प्राधिकरण वाहन संख्या-य०के०-०८- एम-६३६३ एम्बेसेडर कार को निष्ठायोज्य घोषित करते हुए नीलाम किये जाने तथा उक्त के स्थान पर कार्यालय प्रयागर्थ ०१ वाहन क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इनोवा या होण्डा सिटी वाहन क्रय किया जाये।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या २०५६ दिनांक २७ सितम्बर २०१७ द्वारा नीलामी हेतु उक्त वाहन का मूल्यांकन ए०आर०टी०ओ० हरिद्वार से कराये जाने हेतु प्रेषित किया जा चुका है। ए०आर०टी०ओ० हरिद्वार के पत्र संख्या ६६९ दिनांक २४.१०.२०१७ द्वारा प्राधिकरण के दोनों वाहनों की नीलामी किये जाने हेतु न्यूनतम मूल्यांकन शासनादेश संख्या २७४८ / ३०-४-९७-२४ के०एम / ७६ दिनांक ०४.अक्टूबर १९९७ के प्रस्तर-२ के अनुसार वाहन संख्या य०के०-०८-एम०-६३६३ बोलेरो जीप का न्यूनतम मूल्य रु० ८९,०००-००. तथा वाहन संख्या य०के०-०८-एम०-६३६३ एम्बेसेडर कार का न्यूनतम मूल्य रु० ४०,०००-०० निर्धारित किया गया है। वालनों की नीलामी की कार्यवाही गतिमान है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
63, मद संख्या-11	हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण में नेटवर्किंग तथा नियोजन के कार्यों हेतु आउट सोर्सिंग / संविदा के आधार पर तैनाती विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।	हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण में नेटवर्किंग तथा नियोजन के कार्यों हेतु आउट सोर्सिंग / संविदा के आधार पर तैनाती विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।	निर्णय के अनुपालन में सहायक नगर नियोजक एवं सिस्टम एडमिनीस्ट्रेटर की तैनाती संविदा पर माह सितम्बर २०१७ से की जा चुकी है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

63, मद संख्या-12	हरिद्वार— रुडकी विकास प्राधिकरण में विचाराधीन अनाधिकृत निर्माण के बादों तथा अभिलेखागार / स्टोर एवं सूचना का अधिकार आदि को ऑनलाईन करने तथा कृत कार्यों के निष्पादन हेतु आउट सोर्सिंग / संविदा के आधार पर कम्प्यूटर प्रोग्रामर की तैनाती विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।		<p>निर्णय के अनुपालन में कम्प्यूटर प्रोग्रामर की तैनाती दिनांक 08.09.2017 से की जा चुकी है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
63, मद संख्या-13	हरिद्वार जिले / प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि की उचित रख-रखव की व्यवस्था के दृष्टिगत प्राईवेट सर्वेयर से सर्व कराये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।		<p>निर्णय के अनुपालन में हरिद्वार जिले / प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि की उचित रख-रखव की व्यवस्था के दृष्टिगत प्राईवेट सर्वेयर को अनुबन्धित करने की कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।</p>
63, मद संख्या-14	हरिद्वार में स्थित हर की पैडी क्षेत्र का पारम्परिक स्वरूप बरकाकर रखते हुये उसके विकास एवं सौन्दर्योक्तरण कार्य विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार की किसी दक्ष संस्था से यह कार्य कराया जाये। तदोपरान्त ऋषिकेश में त्रिवेणीघाट के सौन्दर्योक्तरण को सम्मति करने तथा ऋषिकेश में कम से कम 05 हाईमास्ट नवीनतम एल0ई0डी0 लाइटों को 05 मुख्य चौराहों पर लगाने के निर्देश बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को दिये गये तथा प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।		निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है।

63, मद संख्या-15	हरिद्वार विकास क्षेत्र में हरिद्वार विकास क्षेत्र में प्राधिकरण की योजनाओं हेतु राज्य की लैण्ड पुलिंग व्यवस्था के अनुसार भूमि अधिग्रहण / क्रय व्यवस्था के अनुसार भूमि अधिग्रहण / क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार विकास क्षेत्र में प्राधिकरण की योजनाओं हेतु राज्य की लैण्ड पुलिंग व्यवस्था के अनुसार भूमि अधिग्रहण / क्रय व्यवस्था के अनुसार भूमि अधिग्रहण / क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत प्रकरण में समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित करते हुए प्रस्ताव आमत्रित किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत प्राप्त 01 प्रस्ताव पर जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करायी जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त 04 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनका परीक्षण कराया जा रहा है।
63, मद संख्या-16	हरिद्वार विकास क्षेत्र के अम्यूजमेन्ट पार्क विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार विकास क्षेत्र में अम्यूजमेन्ट पार्क विकसित किये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये गये तथा अम्यूजमेन्ट पार्क के अतिरिक्त अन्य कोई योजना जो जनहित तथा प्राधिकरण हित में हो कियान्वित की जायें। बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि ऋषिकेश नगर पालिका से समन्वय करते हुए ऋषिकेश में भी अम्यूजमेन्ट पार्क विकसित किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में नगर निगम हरिद्वार एवं नगर पालिका परिषद ऋषिकेश के आवश्यक भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। जिसके अन्तर्गत कार्यालय पत्र संख्या 1486 दिनांक 02.08.17 द्वारा नगर निगम हरिद्वार को जगजीतपुर में डी०१०वी० रुकूल के सामने स्थित नगर निगम की भूमि को हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया।
63, मद संख्या-17	हरिद्वार लूङकी विकास प्राधिकरण के मायापुर, हरिद्वार स्थित कार्यालय को रोशनाबाद, हरिद्वार में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार-लूङकी विकास प्राधिकरण के मायापुर, हरिद्वार स्थित कार्यालय को रोशनाबाद हरिद्वार में हस्तान्तरित किये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1701 दिनांक 23.08.2017 द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार को पत्र प्रेषित किया गया है।
63, मद संख्या-18	हरिद्वार नगर निगम सीमान्तर्गत नगर निगम द्वारा लगायी गयी स्ट्रीट लाईटों का आटोमेशन किये जाने का कार्य तथा इसपर आने वाले लागत की प्रतिपूर्ति हेतु विजुअल मैसेजिंग साईनबोर्ड (VMS) के माध्यम से कार्यवाही की जाय। बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि कार्यालय में भी विस्तृत विचार-विमर्श कर लिया जाय तथा अग्रिम कार्यवाही की जाय। बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि कार्यालय में भी आटोमेशन का प्रयोग किया जाय।	हरिद्वार नगर निगम सीमान्तर्गत नगर निगम द्वारा लगायी गयी स्ट्रीट लाईटों का आटोमेशन किये जाने का कार्य तथा इस पर आने वाले लागत की प्रतिपूर्ति हेतु विजुअल मैसेजिंग साईनबोर्ड (VMS) के माध्यम से कार्यवाही की जाय। बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा यह भी विस्तृत विचार-विमर्श कर लिया जाय तथा अग्रिम कार्यवाही की जाय। बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को निर्देश दिये गये कि कार्यालय में भी आटोमेशन का प्रयोग किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में नगर निगम हरिद्वार की सहमति हेतु कार्यालय पत्र संख्या 1482 दिनांक 02.08.2017 एवं पत्र संख्या 1789 दिनांक 01.09.17 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में नगर निगम, हरिद्वार की सहमति प्राप्त है। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

63-(15) हरिद्वार विकास क्षेत्र में प्राधिकरण की योजनाओं हेतु राज्य की लैण्ड पुलिंग व्यवस्था के अनुसार भूमि अधिग्रहण / क्रय किये किये जाने विषयक प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व-सम्मति से अनुपालना / कार्यवाही से सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

63-(16) हरिद्वार विकास क्षेत्र में अम्यूजमेन्ट पार्क विकसित किये जाने विषयक प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व-सम्मति से अवस्थापना मद से हरिद्वार इण्डस्ट्रियल एरिया में साइंस पार्क विकसित करने की अनुपालना / कार्यवाही से सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

63-(17) हरिद्वार-लूङकी विकास विकास क्षेत्र में अम्यूजमेन्ट पार्क विकसित किये जाने विषयक प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व-सम्मति से अनुपालना / कार्यवाही से सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

63-(18) हरिद्वार नगर निगम सीमान्तर्गत नगर निगम द्वारा लगायी गई स्ट्रीट लाईटों का आटोमेशन किये जाने विषयक प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व-सम्मति से अनुपालना / कार्यवाही से सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

63-(19) इन्डलोक आवासीय योजना भाग-2 के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कार्यादारी संस्था नामित किये जाने विषयक प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व-सम्मति से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहादून के निर्देशानुसार अनुपालन किये जाने तदनुसार प्रकरण एजेंडा मद से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

63-(20) हरिद्वार में हर की पैठी क्षेत्र अवासीय योजना भाग-2 के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कार्यादारी संस्था नामित किये जाने विषयक प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सर्व-सम्मति से विस्तृत नियम तथा पर्यटन विभाग के अद्यतन नियम आदि के साथ आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

Secretary

Vice Chairman

Chairman

63. मद संख्या-19	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से उत्तर प्रदेश जल निगम (उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण) को कार्यदायी संस्था सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम को दी गयी धनराशि का समायोजन उनके द्वारा किये गये कार्यों में करते हुए अवशेष धनराशि वापस ले ली जाये तथा उ०प्र०जल निगम द्वारा तत्काल डी०पी०आर० प्राप्त कर शासन को प्रेषित की जाये ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली धनराशि भारत सरकार से प्राप्त की जा सके।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में नामित कार्यदायी संस्था के साथ M.O.U का निष्पादन किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा D.P.R प्रस्तुत की गयी। जिसे स्वीकृति हेतु UDDA को प्रेषित किया गया है। UDDA द्वारा D.P.R पर कतिपय अपत्तियां की गयी हैं। जिनके निराकरण हेतु कार्यदायी संस्था को दिनांक 08.10.2017 को सूचित किया गया है।</p>
अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।			
63. मद संख्या-20	हरिद्वार में हर की पैडी क्षेत्र श्रवणनाथ नगर, भीमगढ़ा, गोविन्दपुरी, नया हरिद्वार आदि आवासीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे भूखण्डों एवं निर्मित आवासों को गेस्ट हाउस, लॉज एवं होटलों को एक मानक तय करते हुए इनके नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई चर्चा में प्रमुख सचिव पर्यटन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में पर्यटन नीति के अनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद की अधिसूचना संख्या-4041 / 2-7-12922016 दिनांक 25 फरवरी 2016 अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015 प्रथम संशोधन नियमावली 2016 प्रचलित है, जिसके अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं कि सचिव, हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में जिला पर्यटन अधिकारी, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि समस्त बिन्दुओं पर परीक्षण करते हुए तदनुसार बाइलॉज में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित करेंगे।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश संख्या 2480 दिनांक 08 नवम्बर 2017 द्वारा सचिव हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति की गठन किया जा चुका है।</p>

मद संख्या – 64(03)

हरिद्वार-लड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2017-18 का पुनर्रक्षित आय-व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित प्रस्तावित आय-व्ययक प्राधिकरण की बोर्ड के सक्षम अनुमोदनार्थ प्रेषित

SECRET//
REF ID: A6512

N
Vice Chairman

Chairman

Haridwar Development Authority, Haridwar							
Revised Budget 2017-18 & Proposed Budget 2018-19							
	Actual	Actual	Proposed	Actual	Proposed	Actual	Proposed
	31.03.2015	31.03.2016	2016-17	31.03.2017	2017-18	31.01.2018	2018-19
Opening Balance	4584.58	5073.63	5961.01	5961.01	6188.52	6188.52	
B Capital Income							
1 Shivlok scheme	3.16	3.56	2.00	2.18	3.00	2.76	3.00
2 Harilok scheme	2.35	7.43	25.00	5.67	25.00	9.68	25.00
3 Shyamlok scheme	3.54	0.45	5.00	0.28	10.00	15.33	10.00
4 Ashray Yojana	3.78	9.04	10.00	7.08	10.00	16.18	18.00
5 Transport Nagar, Haridwar	340.41	196.13	3000.00	121.90	3500.00	119.23	3500.00
6 Indra Lok Scheme - 1	80.36	156.58	2200.00	26.88	2300.00	36.95	2300.00
7 Indra Lok Scheme - 2	0.00	0.00	1500.00	0.00	1700.00	0.00	1700.00
8 NEW Scheme	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
9 Loan (HUDCO & other financial inst.)	0.00	0.00	1450.00	0.00	1200.00	0.00	3500.00
10 Recovery from staff for HBA & car loan etc.	0.56	0.32	1.00	0.28	7.00	0.00	7.00
11 Deposit work (AKM, MLA Nidhi Etc.)	0.00	622.19	5.00	3.45	0.00	0.00	0.00
12 Infrast. Devt. Fund Works	0.00	444.83	1060.00	785.46	1000.00	785.96	1000.00
13 SELTER FUND EWS/LIG	0.00	0.00	50.00	320.85	150.00	332.37	350.00
Total Capital Income	434.16	1440.53	9808.00	1274.03	10405.00	1318.46	12913.00
Total Income (A+B)	1728.13	2305.80	10763.00	2165.93	11525.00	1787.06	14033.00
Total Income including Opening balance	6312.71	7379.43	16724.01	8126.94	17713.52	7975.58	14033.00
A Revenue Expenditure							
I- Establishment							
(i) Staff salary & allowances	268.02	333.76	350.00	317.10	450.00	311.26	500.00
(ii) T.A. bill	1.46	1.84	2.00	1.20	2.00	0.98	2.50
(iii) Encashment /Pension Anshdan	0.00	0.00	10.00	4.83	5.00	4.32	8.00
(iv) Honorarium	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50
(vi) Medical re-imbursement	0.21	0.31	5.00	1.27	3.50	1.75	4.00
Total (A)	269.69	335.91	367.50	324.40	461.00	318.31	515.00

9)

15-01

Chaitin-Gomberg

Haridwar Development Authority, Haridwar							
Revised Budget 2017-18 & Proposed Budget 2018-19							
	Actual	Actual	Proposed	Actual	Proposed	Actual	Proposed
	31.03.2015	31.03.2016	2016-17	31.03.2017	2017-18	31.03.2018	2018-19
Opening Balance	4584.58	5073.63	5961.01	5961.01	6188.52	6188.52	
B							
2- Office / Misc. Expenditure							
(i) Postage	0.36	0.39	0.50	0.30	0.50	0.22	0.50
(ii) Stationary	2.71	1.90	4.00	2.70	4.00	1.57	5.00
(iii) Office maintenance	16.02	17.00	25.00	11.40	25.00	13.41	25.00
(iv) Chairman office maintenance	2.73	1.08	4.00	0.49	3.00	0.00	3.00
(v) Telephone Expenditure.	3.00	2.42	3.00	18.00	2.50	2.64	4.00
(vi) Library	0.03	0.11	0.50	0.13	0.50	0.03	0.50
(vii) Legal Expenditure.	36.30	19.80	40.00	8.67	40.00	9.32	40.00
(viii) Atithi Satkar	1.40	0.83	2.00	0.81	2.00	0.94	2.00
(ix) Printing	0.57	0.40	2.00	2.02	3.00	0.82	3.00
(x) Advertisement	8.67	22.80	25.00	10.84	20.00	18.37	20.00
(xi) Audit Fee	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00
(xii) Misc. Expenditure	4.13	5.11	10.00	5.29	10.00	2.83	10.00
(xiii) Employee Welfare	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(xiv) Maint. Of Machines	1.04	0.21	1.00	1.08	1.50	0.29	2.00
(xv) Maint of Electricity	4.41	3.71	5.00	5.26	6.00	4.49	6.00
(xvi) Discrenory	0.00	1.37	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00
(xvii) Temp. Advance.	2.41	0.00	2.00	0.00	2.00	0.55	2.00
(xviii) Computer Maintenance.	0.93	0.18	3.00	1.21	4.00	0.45	5.00
(xix) Transfer of ambar Fee	6.26	0.00	15.00	4.51	15.00	0.72	10.00
(xx) Maint. In Harilok	10.33	11.03	15.00	9.73	10.00	5.34	10.00
(xxi) Maintenance Fee of Inderlok	0.00	5.40	25.00	18.15	10.00	2.00	10.00
(xxii) Maintenance Fee of Transport Nagar,	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00
(xxiii) F.B.T. & Other Tex	40.00	0.00	215.00	0.00	250.00	0.00	250.00
Total (B)	141.30	93.74	418.00	105.59	423.00	63.99	422.00

Secretary

Vice Chairman

Chairman

Haridwar Development Authority, Haridwar							
Revised Budget 2017-18 & Proposed Budget 2018-19							
	Actual	Actual	Proposed	Actual	Proposed	Actual	Proposed
	31.03.2015	31.03.2016	2016-17	31.03.2017	2017-18	31.03.2018	2018-19
Opening Balance	4584.58	5073.63	5961.01	5961.01	6188.52	6188.52	
C							
3- Vehicle							
(i) Maint.	4.37	2.94	5.00	2.47	2.00	1.94	5.00
(ii) Petrol / Diesel	8.57	8.07	10.00	9.84	12.00	8.66	16.00
(iii) Vehicle on rent	0.00	7.63	8.00	8.00	15.00	3.11	20.00
Total (C)	12.94	18.64	23.00	20.31	29.00	13.71	41.00
D							
4- Advance to Employee							
(i) Vehicle	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
(ii) H.B.A	0.00	0.00	7.00	6.21	10.00	0.00	10.00
Total (D)	0.00	0.00	9.00	6.21	12.00	0.00	12.00
E							
5- Master Plan	26.95	0.00	40.00	41.68	50.00	3.00	50.00
Total (E)	26.95	0.00	40.00	41.68	50.00	3.00	50.00
F							
6- Computrization of H D A office	0.00	0.00	80.00	72.90	50.00	0.00	50.00
Total Revenue exp..(A+B+C+D+E+F)	450.88	448.29	937.50	571.09	1025.00	399.01	1090.00
A							
Capital Exp.							
1 Purchase of Vehicle / Machine	0.00	11.43	20.00	16.76	15.00	0.00	15.00
2 Purchase of Computer.	2.91	0.55	5.00	0.13	18.00	16.49	35.00
3 Furniture / fixture	1.92	6.48	5.00	4.84	5.00	0.30	12.00
Total (A)	4.83	18.46	30.00	21.73	38.00	16.79	62.00
B							
5 Purchase of Land							
(i) For New Scheme(T.P.NAGAR)	0.00	0.00	2500.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
Total(B)	0.00	0.00	2500.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00

Secretary

Vice Chairman

Chairman

100

Haridwar Development Authority, Haridwar							
Revised Budget 2017-18 & Proposed Budget 2018-19							
	Actual 31.03.2015	Actual 31.03.2016	Proposed 2016-17	Actual 31.03.2017	Proposed 2017-18	Actual 31.01.2018	Proposed 2018-19
Opening Balance	4584.58	5073.63	5961.01	5961.01	6188.52	6188.52	
C							
6 Deveiopment/ const Works in Schemes							
(i) Shivlok Scheme	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
(ii) Shyamlok Scheme	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00
(iii) Harilok Scheme	0.35	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00
(iv) Repayment of loan	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	325.00
(v) Interest. on Loan	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	125.00
(vi) Consultancy / Training Etc.	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	18.00
(vii) Infrast. Devt. Fund Works	165.29	406.34	2200.00	695.00	2500.00	692.91	2500.00
(viii) Deposit Works /kumb mela 2016	0.00	270.14	300.00	281.12	25.00	18.53	25.00
(ix) Haritama / Plantation	18.11	13.84	45.00	15.45	70.00	51.44	80.00
(x) Transport. Nagar Scheme	12.70	0.64	300.00	7.00	280.00	0.00	300.00
(xi) BHEL. Rehab. Scheme	6.79	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xii) Indra Lok Scheme- 1	576.54	259.20	500.00	242.03	400.00	91.77	600.00
(xiii) Indra Lok Scheme - 2	0.00	0.00	1000.00	100.00	1200.00	142.00	2500.00
(xiv) NEW Scheme	0.00	0.00	500.00	0.00	400.00	0.00	400.00
(xv) Board fund	3.59	1.51	500.00	0.00	500.00	2.76	3000.00
Total (C)	783.37	951.67	5542.00	1345.60	5543.00	999.41	9881.00
Total Capital Expenditure	788.20	970.13	8072.00	1367.33	8581.00	1016.20	12943.00
Total Expenditure	1239.08	1418.42	9009.50	1938.42	9606.00	1415.21	14033.00
Closing Balance	5073.63	5961.01	7714.51	6188.52	8107.52	6560.37	0.00

1/2/
Secretary

Vice Chairman

Chairman

मद संख्या-64 (04)

स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 के आधार पर जोनल डेवलेपमैन्ट प्लान पर जनसामान्य से सुझाव एंव आपत्ति आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 के अन्तर्गत 11 प्रखण्डों के जोनल डेवलेपमैन्ट प्लान नियोजन विभाग उत्तराखण्ड की देख-रेख में मैसर्स फ़िड बैंक इन्फ़ा प्रा० लि०, से तैयार कराये गये हैं। प्रखण्ड संख्या 01 से 06 तक के जोनल प्लान की नियोजन विभाग की जांचोपरान्त जनसामान्य से आपत्ति एंव सुझाव प्राप्त किये जाने का अनुमोदन प्राधिकरण की 61 वीं बोर्ड बैठक में प्रदान किया गया है। अवशेष प्रखण्ड संख्या 07 से 11 की जांच नियोजन विभाग द्वारा करते हुए जांच आख्या अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रस्ताव है कि हरिद्वार महायोजना 2025 के अन्तर्गत स्थित 11 प्रखण्डों के प्रस्तावित जोनल प्लान पर जनसामान्य से आपत्ति एंव सुझाव आमंत्रित किये जाने तथा प्राधिकरण की 61 वीं बोर्ड बैठक द्वारा गठित समिति, जो सचिव, हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण व वरिष्ठ नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून एंव अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण की है, के माध्यम से जन सामान्य से आपत्ति एंव सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

14

मद संख्या-64 (03) हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित

बजट एंव वित्तीय वर्ष 2018-2019 का प्रस्तावित आय-व्ययक पर विस्तार से प्रत्येक मदवार विचार-विमर्श किया गया तथा विस्तृत चर्चा उपरान्त प्राधिकरण का वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित बजट एंव वित्तीय वर्ष 2018-2019 के प्रस्तावित बजट को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-64 (04) स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 के आधार पर जोनल डेवलेपमैन्ट प्लान पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त सभी 11 प्रखण्डों पर जन-सामान्य से सुझाव एंव आपत्ति आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गये तथा एजेण्डा मद में प्रस्तावित समिति को भी अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-64 (05) मायापुर हरिद्वार स्थित वर्तमान नगर निगम कार्यालय परिसर को ध्वस्त करते हुए प्राधिकरण द्वारा आवासीय /व्यावसायिक योजना का विकास एंव निर्माण कार्य विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए योजना के सभी पहलुओं /बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये कि यह परीक्षण कर लिया जाये कि प्रस्तावित योजना को व्यावसायिक, (होटल) तथा आवासीय में से कौन योजना वित्तीय दृष्टि से ठीक है, तदनुसार कार्यवाही की जाय।

मद संख्या-64 (06) हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम कार्यालय निर्मित कराये जाने तथा नगर निगम हरिद्वार की कतिपय सम्पत्तियों को क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए योजना के सभी पहलुओं /बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण करने, योजना के डिजाइन/ ड्राईंग /कन्सल्टेन्ट पर होने वाले व्यय /फीस आदि को भारत सरकार की लिखित सहमति प्राप्त होने के

पत्रावली संख्या:- अभिन्न १(क)-१५/२०१७-१८

मद संख्या-64 (05)

मायापुर हरिद्वार स्थित वर्तमान नगर निगम कार्यालय परिसर को ध्वस्त करते हुए प्राधिकरण द्वारा
आवासीय / व्यवसायिक योजना का विकास एंव निर्माण कार्य।

वर्तमान में स्थित नगर निगम कार्यालय परिसर हरिद्वार नजूल भूमि है। जिसके भूमि स्थानान्तरण की कार्यवाही गतिमान है। परिसर के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणी के बहुमंजिले आवासीय भवनों के निर्माण के साथ-साथ आवश्यकतानुसार व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत योजना हेतु डी०पी०आ०२० तैयार करने का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग हरिद्वार से कराया गया है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आ०२० के अनुसार योजना की कुल लागत रु० 119.44 करोड़ हैं। प्रश्नगत योजना हरिद्वार शहर के मध्य स्थित होने के कारण अत्यन्त सफल रहेगी तथा वित्तीय दृष्टिकोण से प्राधिकरण के लिए लाभदायक भी होगी।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रेषित हैं।

१५

मद संख्या-६४ (०६)

हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम कार्यालय निर्मित कराये जाने तथा नगर निगम हरिद्वार की कतिपय सम्पत्तियों को क्य किये जाने के सम्बन्ध में।

नगर निगम हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय भवन को निर्मित करने का प्रस्ताव हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण से किया गया है। प्रश्नगत कार्यालय का निर्माण नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम हरिद्वार के भल्ला कालेज के निकट स्थित निवास परिसर में किया जाना है। नगर निगम द्वारा कार्यालय निर्माण पर आने वाली लागत की प्रतिपूर्ति हेतु देवपुरा स्थित पूर्व आई०टी०आई० की भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण को हस्तगत किया जाना है। आई०टी०आई० स्थल की भूमि की दर वर्तमान सर्किल दर रु०. 30,000-०० प्रति वर्ग मीटर के आधार पर आंकित की गयी है। जिसके अनुसार उक्त सम्पत्ति का मूल्य रु०. 5,63,20,800-०० होता है। नगर निगम कार्यालय के निर्माण की लागत एंव आई०टी०आई० परिसर के मूल्य के अन्तर की राशि की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण एंव नगर निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

उक्त के अतिरिक्त नगर निगम हरिद्वार द्वारा वर्तमान सर्किल दरों पर अपनी निम्न सम्पत्ति प्राधिकरण को विक्रय किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। सम्पत्तियों का विवरण निम्नवत् है:-

- वर्तमान बस अड्डे की भूमि प्राधिकरण को सर्किल दर पर हस्तगत करने की सहमति नगर निगम द्वारा प्रदान की गयी है। वर्तमान बस अड्डे का क्षेत्रफल 11,152 वर्ग मी० है जिसकी सर्किल दर रु०. 50,600 प्रति वर्ग मी० है। जिसके अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति का कुल मूल्य रु०. 56,42,91,200-०० होता है।
- देवपुरा स्थित बीजेपी कार्यालय के बराबर में स्थित सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 433.85 वर्ग मीटर है। जिसका वर्तमान सर्किल दर रु०. 30,000-०० प्रति वर्ग मी० है, जिसके अनुसार उक्त सम्पत्ति का मूल्य 1,30,15,000-०० होता है।
- मायापुर में फायर स्टेशन के पीछे (मेयर निवास के सामने) स्थित सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 239.88 वर्ग मीटर है। जिसका वर्तमान सर्किल दर रु०. 30,000-०० प्रति वर्ग मी० है, जिसके अनुसार उक्त सम्पत्ति का मूल्य 71,96,400-०० होता है।
- मायापुर स्थित मेयर निवास, प्रश्नगत सम्पत्ति का क्षेत्रफल 2997.54 वर्ग मी० है। जिसका वर्तमान सर्किल दर रु०. 30,000-०० प्रति वर्ग मी० है, जिसके अनुसार उक्त सम्पत्ति का मूल्य 8,99,26,200-०० होता है।

उक्त भूमि दर दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी सर्किल दर के आधार पर आंकित की गयी है। जिसका सत्यापन अपर जिलाधिकारी (वित्त एंव राजस्व) हरिद्वार द्वारा भी किया गया है। उक्त के अतिरिक्त कम संख्या ०१, ०२ एंव ०३ की सम्पत्तियों पर पूर्व से निर्माण विद्यमान है। जिसे नगर निगम द्वारा स्वयं से हटाकर समतल रूप में भूमि का हस्तान्तरण प्राधिकरण को किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

मद संख्या-64 (07)

प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत इन्डलोक आवासीय योजना भाग-2 में निर्माणाधीन 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्राधिकरण द्वारा इन्डलोक आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत 528 दुर्बल आय वर्ग भवन के निर्माण का कार्य कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेस उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आ०२० जो उड़ा को स्वीकृत हेतु प्रेषित है के अनुसार भवन निर्माण की लागत रु०. 8.86 लाख (भूमि मूल्य एवं जी०ए०स०टी० छोड़कर) आती है। प्राधिकरण द्वारा चयनित लाभार्थियों को भूमि मूल्य सहित भवन का विक्रय मूल्य रु०. 4.50 लाख प्रस्तावित किया गया है। अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति रु०. 1.50 लाख केन्द्रांश से, रु०. 1.00 लाख राज्यांश से तथा अवशेष की प्रतिपूर्ति योजना के अन्य क्षेत्रफल पर निर्मित की जाने वाली सम्पत्तियों से की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित हैं।

17

उपरान्त किये जाने तथा कन्सल्टेन्ट की फीस आदि का निर्धारण प्रचलित शासनादेश से अधिक नहीं किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

मद संख्या-64 (07) प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत इन्डलोक आवासीय योजना भाग-2 में निर्माणाधीन 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के मूल्य निर्धारण विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेशानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-64 (08) हारिद्वार स्थित बस स्टैण्ड को प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थानान्तरित करने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर बस अड्डे पर विचार-विमर्श किया गया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए योजना के सभी पहलुओं /बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण करने, योजना के डिजाइन/ ड्राइंग /कन्सल्टेन्ट पर होने वाले व्यय /फीस आदि को भारत सरकार की लिखित सहमति प्राप्त होने के उपरान्त किये जाने, कन्सल्टेन्ट की फीस आदि का निर्धारण प्रचलित शासनादेश से अधिक नहीं किये जाने एवं डी०पी०आ०२० /डिजाइन तैयार करने वाली संस्था वैकास के कार्यों से असंतुष्टि जताई गई। उपरोक्त क्रम में विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग आगामी बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-64 (09) हारिद्वार में वर्तमान बस अड्डे की भूमि पर पार्किंग स्थल एवं अन्य स्वास्थ्यिक गतिविधियों के विकास विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए योजना के सभी पहलुओं /बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण करने, योजना के डिजाइन/ ड्राइंग /कन्सल्टेन्ट पर

Secretary

Vice Chairman

Chairman

60

मद संख्या-64 (08)

हरिद्वार स्थित बस स्टैण्ड को प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थान्तरित करने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि मात्र मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 05.07.2017 में निर्देश दिये गये हैं कि हरिद्वार में आईएस0बी0टी0 का निर्माण कार्य शहर से बाहर सराय अथवा बहादराबाद के आस-पास किया जाय। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि प्राधिकरण की सराय रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आईएस0बी0टी0 के लिए प्रयाप्त भूमि आंवटन से रिक्त है जिसपर आईएस0बी0टी0 का निर्माण किया जा सकता है, अतः ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र में तदनुसार संशोधन की स्वीकृति। प्रश्नगत परियोजना की डी0पी0आर0 वाप्कोस लिंग. से तैयार कराया गया है। तैयार डी0पी0आर0 के अनुसार परियोजना की कुल निर्माण कार्य की अनुमानित लागत रु0. 426.31 करोड़ है। प्रश्नगत आईएस0बी0टी0 का निर्माण कार्य बी0ओ0टी0 के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

3/

18

होने वाले व्यय /फीस आदि की भारत सरकार का लिखित सहमति प्राप्त होने के उपरान्त किये जाने, कन्सल्टेन्ट की फीस आदि का निर्धारण प्रचलित शासनादेश से अधिक नहीं किये जाने के निर्देश के साथ एजेण्डा बिन्दु को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-64 (10)

ऋषिकेश नगर पालिका कार्यालय परिसर में पार्किंग एवं व्यवसायिक गतिविधियों के निर्माण विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए योजना के सभी पहलुओं /बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण करने एवं योजना के डिजाईन/ ड्राईंग /कन्सल्टेन्ट पर होने वाले व्यय /फीस आदि को भारत सरकार की लिखित सहमति प्राप्त होने के उपरान्त किये जाने तथा कन्सल्टेन्ट की फीस आदि का निर्धारण प्रचलित शासनादेश से अधिक नहीं किये जाने के निर्देश के साथ एजेण्डा बिन्दु को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-64 (11) उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1819 (2) दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के द्वारा हरिद्वार-लड़की विकास प्राधिकरण का विस्तार करते हुए हरिद्वार जिले के ऐसे भू-भाग जो पूर्व में प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थे को सम्मिलित किया गया है, की महायोजना तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त महायोजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-64 (12)

हरिद्वार स्थित होटल अलकनंदा में नवीन होटल बनाने हेतु विधिक अनुमति एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त भू-उपयोग व्यावसायिक किये जाने का अनुमोदन किया गया तथा प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

Secretary

Vice Chairman

Chairman

10
10

मद संख्या-64 (09)

हरिद्वार में वर्तमान बस अड्डे की भूमि पर पार्किंग स्थल एंव अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के विकास के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 05.07.2017 में हरिद्वार में पार्किंग स्थल विकसित करने के निर्देश दिये गये हैं तदनुसार प्रकरण प्राधिकरण की 63 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.07.2017 के मद संख्या 06 में हरिद्वार बस अड्डे को अन्यत्र हस्तांतरित करते हुए वर्तमान बस अड्डे को पार्किंग अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के उपयोग की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्काल में बस वर्तमान बस अड्डे की भूमि प्राधिकरण को वर्तमान सर्किल दर पर हस्तगत करने की सहमति नगर निगम द्वारा प्रदान की गयी है। वर्तमान बस अड्डे का क्षेत्रफल 11,152 वर्ग मी० है। प्रश्नगत परियोजना की डी०पी०आर० वाप्कोस लि० से तैयार कराया गया है। तैयार डी०पी०आर० के अनुसार परियोजना की कुल निर्माण कार्य की अनुमानित लागत रु० 195.25 करोड है। प्रश्नगत कार्य एस०पी०वी०/कम्पनी गठित कर जिसमें हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण एंव नगर निगम हरिद्वार तथा उत्तराखण्ड सरकार की सहभागिता होगी, के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रस्ताव है कि उक्त परियोजना को एस०पी०वी०/कम्पनी गठित कर तथा कम्पनी एकट में पंजीकरण कराते हुए जिसमें हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण एंव नगर निगम हरिद्वार तथा उत्तराखण्ड सरकार की सहभागिता होगी, के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। एस०पी०वी०/कम्पनी के माध्यम से हिस्सेदारी (हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण, सम्बन्धित नगर निगम-नगर पालिका तथा राज्य सरकार) के आधार पर निर्मित किया जाय। सम्बन्धित परियोजनाओं की लागत का आंकलन भूमि सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य तथा डी०पी०आर० के आधार पर निर्माण लागत को जोड़ते हुए कुल लागत में विभागों के निवेश के आधार पर हिस्सेदारी प्रदान की जानी है तथा समर्त व्यय के समायोजन उपरान्त लाभांश का वितरण भी उसी अनुपात में किया जाना है। उत्तराखण्ड सरकार को लाभांश का एक प्रतिशत दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

मद संख्या-64 (10) ऋषिकेश नगर पालिका कार्यालय परिसर में पार्किंग एंव व्यवसायिक गतिविधियों के निर्माण के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 05.07.2017 में ऋषिकेश में पार्किंग स्थल विकसित करने के निर्देश दिये गये हैं तदनुसार प्रकरण प्राधिकरण की 63 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.07.2017 के मद संख्या 06 में चर्चा के दौरान ऋषिकेश में भी पार्किंग स्थल विकसित किये जाने के अनुमोदन प्रदान किया गया हैं तत्कम में नगर पालिका ऋषिकेश द्वारा नगर पालिका कार्यालय कैम्पस में पार्किंग अन्य गतिविधियों विकसित करने की सहमति प्राधिकरण को दी गयी है। उक्त के कम में ऋषिकेश नगर पालिका कार्यालय कैम्पस में पार्किंग अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के उपयोग हेतु डी०पी०आर० वाफोस लि० से तैयार कराया गया है। तैयार डी०पी०आर० के अनुसार परियोजना की कुल निर्माण कार्य की अनुमानित लागत रु० 114.65 करोड़ है। प्रश्नगत कार्य एस०पी०वी०/ कम्पनी गठित कर जिसमें हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण एंव नगर पालिका ऋषिकेश तथा उत्तराखण्ड सरकार की सहभागिता होगी, के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रस्ताव है कि उक्त परियोजना को एस०पी०वी०/ कम्पनी गठित कर तथा कम्पनी एकट में पंजीकरण कराते हुए जिसमें हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण एंव नगर पालिका ऋषिकेश तथा उत्तराखण्ड सरकार की सहभागिता होगी, के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। एस०पी०वी०/ कम्पनी के माध्यम से हिस्सेदारी (हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण, सम्बन्धित नगर निगम-नगर पालिका तथा राज्य सरकार) के आधार पर निर्मित किया जाय। सम्बन्धित परियोजनाओं की लागत का आंकलन भूमि सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य तथा डी०पी०आर० के आधार पर निर्माण लागत को जोड़ते हुए कुल लागत में विभागों के निवेश के आधार पर हिस्सेदारी प्रदान की जानी है तथा समस्त व्यय के समायोजन उपरान्त लाभांश का वितरण भी उसी अनुपात में किया जाना है। उत्तराखण्ड सरकार को लाभांश का एक प्रतिशत दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रेषित हैं।

मद संख्या-६४ (११)

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-१८१९ (२) दिनांक १३ नवम्बर, २०१७ के द्वारा हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण का विस्तार करते हुए हरिद्वार जिले के ऐसे भू-भाग जो पूर्व में हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थे को सम्मिलित किया गया है, की महायोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में :-

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या- ७९४/V-२-८-२०१६-६० (आ)/२०१५ दिनांक २६ मई, २०१६ के द्वारा हरिद्वार जिले के मैदानी क्षेत्रों का ऐसा भू-भाग जिसमें कोई विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नियन्त्रण प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं था, को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था। शासनादेश संख्या-१८१९ (२) दिनांक १३ नवम्बर, २०१७ के द्वारा उक्त क्षेत्र को हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। इसमें मुख्यतः हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील तथा कोडियाला तक का क्षेत्र सम्मिलित है। प्रश्नगत क्षेत्र काफी बड़े भू-भाग में स्थित है जिसके लिये पृथक महायोजना तैयार किया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्ताव है कि अधिसूचित क्षेत्र की महायोजना तैयार किये जाने के संबंध में प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही किये जाने हेतु बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-64 (12)

हरिद्वार स्थित होटल अलकनंदा में नवीन होटल बनाने हेतु विधिक अनुमति एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री अखण्ड प्रताप सिंह, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य पर्यटन विकास निगम लिं०, राजस्थान पुरुषोत्तम दास टंडन, पर्यटन भवन, सी०-१३, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्रांक ३१७१/परि०/५-हरि०हो०नि०/२०१७ दिनांक ०९.०१.२०१८ द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक ०३.१२.२०१७ को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के मध्य यूपी सदन नई दिल्ली में आहूत बैठक में होटल अलकनंदा के सम्बन्ध में लिए गये निर्णयानुसार दिनांक १०.०९.२०१७ को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड पर्यटन के अधिकारियों द्वारा सिंचाई विभाग, उ०प्र० से पर्यटन विभाग उ०प्र० को हस्तान्तरित कुल १,१९,०००.०० वर्ग फीट भूमि में निर्मित भवन/क्षेत्रफल को छोड़ते हुए मुख्य मार्ग से होटल अलकनंदा, हरिद्वार को जोड़ने वाले मार्ग के उत्तर की ओर रिक्त चयनित भूमि जिसकी पैमाईश ३८.०० मीटर x ७८.०० मीटर अर्थात् २९६४.०० वर्ग मीटर भूमि पर उ०प्र० पर्यटन द्वारा ३८ कक्षों का लग्जरी होटल, रेस्टोरेंट, किचन सहित नवीन होटल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। नवीन होटल हेतु चयनित स्थल की भूमि सरकारी अभिलेखों में कुंभ मेले की भूमि के रूप में दर्शित है। विभाग द्वारा नवनिर्मित होटल से संबंधित प्रारंभिक डी०पी०आर० संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया है कि चयनित स्थल पर होटल निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित कराते हुए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिं० के पक्ष में अंकित कराने हेतु संबंधित आवश्यक विधिक अनुमति एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कराने का कष्ट करें। जिससे होटल के निर्माण की कार्यवाही यथाशीघ्र किया जाना सम्भव हो सके।

इस संबंध में सधिव, पर्यटन उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या १६१/वि०(१)/२०१८-१२६ (पर्य०)/२००३ TCI दिनांक १७.०१.२०१८ द्वारा भी प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिं०, लखनऊ के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिं० के पक्ष में कराते हुए आवश्यक विधिक अनुमति एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि पर्यटन अनुभाग के पत्र संख्या ३६/वि०(१)/२०१७-१२६ (पर्य०)/२००३ TC दिनांक ०४.०१.२०१८ के साथ संलग्न किये गये साईट प्लान में दर्शित स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-२०२५ के मानचित्रानुसार कुंभ मेला क्षेत्र के अन्तर्गत है। उक्त स्थल पर उत्तर प्रदेश सरकार का अलकनंदा होटल पूर्व से ही निर्मित है तथा व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है। अतः पूर्व से निर्मित होने के कारण इसका भू-उपयोग पर्यटन अथवा व्यवसायिक होना चाहिए था, जोकि नहीं है। उक्त भूमि औचित्यपूर्ण है। प्रश्नगत स्थल पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिं० द्वारा होटल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-64 (13)

**उत्तराखण्ड परिवहन निगम डिपो कार्यशाला, ऋषिकेश में कन्ज्यूमर डीजल पम्प स्थापित करने हेतु
अनापत्ति प्रामाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।**

(प्र०) देहरादून के पत्र दिनांक 23.07.2016 में उनके द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा ऋषिकेश डिपो में कन्ज्यूमर डीजल पम्प स्थापित करने हेतु प्राधिकरण स्तर से अनापत्ति प्रामाण पत्र जारी करने का उल्लेख किया गया है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि ऋषिकेश डिपो कार्यालय में रिटेल डीजल पम्प की स्थापना नहीं की जानी है अपितु उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा संचालित वाहनों को ही डीजल की आपूर्ति की जानी है।

अवगत कराना है कि प्राधिकरण मानवित्रकार की आख्यानुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग प्रचलित ऋषिकेश महायोजना के अनुसार कुम्भ मेला क्षेत्र (P-3) के अन्तर्गत आता है। महायोजना की जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार उक्त महायोजना में अनुमन्य भू-उपयोगों से इतर भू-उपयोग परिक्षेत्रों में नियमानुसार शासन से भू-उपयोग परिवर्तन उपरान्त ही फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन का निर्माण अनुमन्य होगा। इस हेतु भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत मूल्य भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के साथ प्राप्त करने के उपरान्त ही ऐसे प्रकरणों पर मानवित्र स्वीकृति सम्बन्धी नियमानुसार आवेदन करने पर विचार किया जायेगा।

सहायक महाप्रबन्धक, ऋषिकेश द्वारा अपने पत्र में यह भी अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम राज्य सरकार का एक सार्वजनिक उपकरण है, जिसकी स्थापना का उद्देश्य राज्य की जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसी के दृष्टिगत वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम बस स्टेशन/कार्यालय की पुनः स्थापना हेतु 0.91 हेक्टेयर वन भूमि नटराज चौक के पास कक्ष संख्या 02 में आवंटित की गयी है तथा वहां से कार्यशाला का संचालन भी प्रारम्भ किया जा चुका है तथा कार्यालय परिसर में कन्ज्यूमर डीजल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्तानुसार शासन को कार्यालय पत्र संख्या 1639 दिनांक 28.11.2016 द्वारा इस हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संयुक्त सचिव आवास अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा पत्र संख्या 78/V-2/101(आ०) 16/2018 दिनांक 11.01.2018 द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त बोर्ड के अभिमत से शासन को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-64 (13)

उत्तराखण्ड परिवहन निगम डिपो कार्यशाला, ऋषिकेश में कन्ज्यूमर डीजल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि यह देख लिया जाये कि एन०जी०टी० के द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन न हो।

मद संख्या-64 (14)

हरिद्वार - रुड़की विकास प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु ई०आर०पी०सॉल्यूशन तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-64 (15)

हरिद्वार - रुड़की विकास प्राधिकरण में ऑनलाईन मानवित्र स्वीकृति एवं अन्य डाटा सुरक्षित रखे जाने हेतु Server एवं Online UPS स्थापित कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-64 (16)

प्राधिकरण में संविदा के आधार पर एक ड्रांसपोर्ट प्लानर एवं एक पी०पी०पी० /आई०टी० एक्सपर्ट की तैनाती विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा पूर्व में मल्टी नेशनल कम्पनी /वर्ल्ड बैंक में कार्य करने वाले अनुभवी विशेषज्ञ को ही उक्त प्रोजेक्ट अधिकारी तक ही रखे जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

Secretary

Vice Chairman

Chairman

पत्रावली संख्या— प्रश्ना० २(क) २२ / २०० / २०१७-१८

मद संख्या—६४ (१४)

हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु ई०आर०पी० सॉल्यूशन तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों/पटलों हेतु माड्यूल्स तैयार कराया जाना आवश्यक है। जिसके अन्तर्गत लेखानुभाग, पत्र प्राप्ति अनुभाग, प्राधिकरण की विभिन्न योजना-परियोजना, स्टोर, रिकार्ड, पब्लिक ग्रिवेन्सेस, सूचना अधिकार, मेनेजमेन्ट, लीगल केस सिस्टम, सम्पत्ति आदि हेतु सॉफ्टवेयर तैयार कराया जाना है। उक्त सॉफ्टवेयर के तैयार हो जाने से पेपर वर्क अत्यन्त कम हो जायेगा तथा कार्यों में पारदर्शिता बनी रहेगी तथा कार्यों का निस्तारण भी सरल होगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

पत्रावली संख्या:- प्रश्ना० 2(क) 22/201/2017-18

मद संख्या-64 (15)

हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण में ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृति एंव अन्य डाटा सुरक्षित रखे जाने हेतु **Server** एंव **Online UPS** स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि प्राधिकरण में ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया माह जुलाई 2017 से लागू की जा चुकी है तथा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति केवल ऑनलाईन ही की जा रही है। **Ease To Doing Business** के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा ₹०आर०पी० सॉल्यूशन तैयार कराया जा रहा है। जिससे प्राधिकरण के समस्त पटल ₹०आर०पी० सॉफ्टवेयर से जुड़ जायेंगे। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण का सम्पूर्ण डाटा सुरक्षित रखने हेतु एंव सुरक्षा के दृष्टिगत 01 **Main Server + 01 Backup Server** एंव 01 **Online UPS** प्राधिकरण कार्यालय हरिद्वार में स्थापित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

पत्रावली संख्या— प्रशात० 2(क) 22 / 204 / 2017-18

मद संख्या—64 (16)

प्राधिकरण में संविदा के आधार पर एक ट्रांसपोर्टर प्लानर एंव एक पी०पी०पी०/आई०टी० एक्सपर्ट की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण द्वारा निकट भविष्य में विभिन्न चौराहों तथा महायोजना में प्रस्तावित मार्गों को विकसित किया जाना है। इस हेतु विस्तृत प्लान, ड्राइंग, डिजाईन आदि का कार्य किये जाने हेतु वर्तमान में प्राधिकरण में कोई तकनीकि अभियन्ता एंव पी०पी०पी०/आई०टी० एक्सपर्ट तैनात नहीं है। अतः कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव है कि संविदा के माध्यम से एक ट्रांसपोर्ट प्लानर एंव एक पी०पी०पी०/आई०टी०एक्सपर्ट की तैनाती कर दी जाय।

तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

मद संख्या-64 (17)

हरिद्वार विकास क्षेत्रान्तर्गत गंगा के किनारे स्थित भवनों को एक रंग में रंगे जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि वर्तमान समय में C.S.R मद से कराया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत गठित समिति द्वारा हरकीपौड़ी क्षेत्र के आस-पास स्थित भवनों को एक रंग में रंगे जाने का निर्णय लिया गया है। हरिद्वार नगर धार्मिक एंव पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः उचित होगा कि हरिद्वार नगर में गंगा नदी के किनारे स्थित भवनों को भी उसी रंग में रंग दिया जाय।

अतः हरकीपौड़ी क्षेत्र के साथ-साथ गंगा किनारे स्थित भवनों को एक रंग में रंगे जाने के साथ-साथ रंग के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-64 (17) हरिद्वार विकास क्षेत्रान्तर्गत गंगा के किनारे स्थित भवनों को एक रंग में रंगे जाने

विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-64 (18) शासनादेश संख्या-476 /V-2/20(आ)14 /2015 दिनांक 21 मार्च, 2016 के अन्तर्गत

नियमित किये गये कार्मिकों को तदर्थ /अनियमित /संचिदा पर तैनाती की तिथि से वित्तीय एवं सेवा लाभ तथा वेतनमान की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण को अस्तीकृत किया गया तथा विस्तृत परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-64 (19) ग्राम घुघत्याणी तल्ली, तपोबन, नरेन्द्रनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल के विभिन्न खसरा

नम्बरों के कृषि भू-उपयोग से पर्यटन में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि आवेदक वीं इस बिन्दु पर सहमति ले जी जाय कि वह भू-उपयोग व्यावसायिक में चाहते हैं या पर्यटन में। आवेदक द्वारा अपने पत्र द्वारा भू-उपयोग पर्यटन में किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है तदनुसार उक्त भू-उपयोग कृषि से पर्यटन किये जाने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित करने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-64 (20) श्री हंस फाउण्डेशन की ओर से श्री विक्रांत पाठक पुत्र श्री सन्तराम पाठक द्वारा

ग्राम-बहादराबाद के खसरा नं०- 51/2, 53, 54 तथा 55 में स्थित 14591.00 वर्ग मी० भूमि पर चैरिटेबिल आई स्पैसिटल

Secretary

Vice Chairman

Chairman

पत्रावली संख्या:- प्रशा० 2(क) 22/205/2017-18

मद संख्या-64 (18)

शासनादेश संख्या 476/V-2/20(आ०)14/2015 दिनांक 21 मार्च 2016 के अन्तर्गत नियमित किये गये कार्मिकों को तदर्थ/अनियमित/संविदा पर तैनाती की तिथि से वित्तीय एंव सेवा लाभ तथा वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार में तदर्थ/अनियमित/संविदा पर तैनात कर्मियों को शासनादेश संख्या 476/V-2/20(आ०)14/2015, दिनांक 21 मार्च 2016 के अनुपालन में प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 04 मई 2016 को नियमित किया गया है। प्राधिकरण कर्मियों द्वारा अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 27.01.2018 में अनुरोध किया गया है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून एंव दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण देहरादून की भाँति उन्हें भी पूर्व में दैनिक वेतन/संविदा कार्मिकों के कार्य अवधि में किये गये कार्य का वेतन एंव सेवालाभ प्रदान किया जाय।

उल्लेखनीय है कि उक्त कर्मचारियों द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 284/स्था/2016-17 दिनांक 02 सितम्बर 2016 की छायाप्रति संलग्न की गयी है जिसमें गठित समिति की संस्तुति दिनांक 31.03.2016 के अनुपालन में 76 कार्मिकों का नियमितिकरण किया गया है। विनियमित किये गये कार्मिकों का नियुक्ति की तिथि से प्राधिकरण कर्मचारियों के अनुरोध पत्र के क्रम में समरत सेवालाभ अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव का उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 30.07.2016 को अनुमोदन किया जा चुका है। तदनुसार समस्त कार्मिकों को नियुक्ति की तिथि समस्त वित्तीय लाभ अनुमन्य किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। इसी प्रकार कार्यालय दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा स्फीनिंग कमेटी की संस्तुति एंव अध्यक्ष, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण देहरादून की स्वीकृति उपरान्त कुल 05 कार्मिकों को तदर्थ/अनियमित/संविदा पर तैनाती की तिथि से समरत वित्तीय लाभ कार्यालय ज्ञाप संख्या 1649/पु०व०/2009-16 दिनांक 21.07.2017 द्वारा प्रदान किये गये हैं।

हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण में तदर्थ/अनियमित/संविदा पर तैनात कुल 14 कार्मिकों को उक्त शासनादेश के क्रम में नियमितिकरण किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून एंव दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण देहरादून की भाँति तदर्थ/अनियमित/संविदा पर तैनाती की तिथि से वित्तीय लाभ एंव वेतन दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

मद संख्या-64 (19)

ग्राम घुट्याणी तल्ली, तपोवन, नरेन्द्रनगर, जिला—ठिहरी गढ़वाल के विभिन्न खसरा नम्बरों के कृषि भ-उपयोग से पर्यटन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

भू-उपयोग से पर्यटन में परिवर्तित किया जान के सम्बन्ध में

मैसर्स अहिल्या होटल्स एण्ड रिजोर्ट्स, नरेन्द्र नगर द्वारा पार्टनर श्री महानन्द शर्मा एवं श्री पुनीत शर्मा, ग्राम घुघ्याणी तल्ली, परगना एवं तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल द्वारा कुल भूमि क्षेत्रफल 5510 वर्ग मीटर जिसमें रोड वाईडनिंग क्षेत्रफल 374.64 वर्ग मीटर को छोड़ते हुए कृषि भू-उपयोग से पर्यटन भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु आवेदन दिनांक 11.09.2017 प्रस्तुत किया गया है। उक्त के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित कुल क्षेत्रफल उक्त में से 3888 वर्ग मीटर में रोड वाईडनिंग छोड़ते हुए कुल भूमि क्षेत्रफल 3619.05 वर्ग मीटर को पूर्व में श्री उत्तम सिंह राणा पुत्र श्री शेर सिंह, घुघ्याणी तल्ली, जिला-टिहरी गढ़वाल द्वारा कृषि भू-उपयोग से आवासीय एवं व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसके कम में विकास प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पत्रांक संख्या 3186 दिनांक 21.03.2016 शासन को भेजा गया था। उक्त भूमि क्षेत्रफल पर भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन होने के दौरान श्री महानन्द शर्मा व आवेदकों द्वारा श्री उत्तम सिंह राणा की उक्त भूमि को क्य कर भू-राजस्व अभिलेखों में मै0 नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल के नाम दर्ज करा लिया गया है। आवेदनकर्ताओं द्वारा उक्त सम्पत्ति के साथ स्वयं की सम्पत्ति को मिलाकर संयुक्त क्षेत्रफल 5510 वर्ग मीटर पर कृषि भू-उपयोग से पर्यटन भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। प्रश्नगत स्थल के सम्बन्ध में आवेदकों द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक, तपोवन टिहरी गढ़वाल से भू-स्वामित्व कीपुष्टि अंकित कराते हुए सम्बन्धित ले-आउट प्लान मूल रूप में एंव खतोनी की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। ले-आउट प्लान में विभिन्न खसरा नम्बरों के साथ कुल भूमि 5510 वर्ग मी0 जिसमें से रोड वाईडनिंग हेतु भूमि क्षेत्रफल 374.64 वर्ग मीटर छोड़ने के पश्चात् अवशेष भूमि 5135.36 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल का भू-उपयोग परिवर्तन ऋषिकेश महायोजना 2011 के अनुसार कृषि हरित पटिटका (P-5) को पर्यटन भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया है। पर्यटन भू-उपयोग में परिवर्तन होने के उपरान्त उक्त आवेदकों द्वारा होटल के निर्माण से सम्बन्धित भवन मानवित्र स्वीकृति से सम्बन्धित आवेदन प्राधिकरण में नियमानुसार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार शासन को कार्यालय पत्रांक 321 दिनांक 08.11.2017 एवं पत्रांक 2901 दिनांक 20.12.2017 द्वारा इस हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा पत्र संख्या 2073/V-2 /07(एल0यूसी0) 16/2017 दिनांक 29.12.2017 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखते हुए प्राधिकरण बोर्ड के अभिभत्त से शासन को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

पत्रावली संख्या:- मान0 / हरि0 / आरएस0-88 / 241 / 15-16

मद संख्या-64 (20)

श्री हंस फाउण्डेशन की ओर से श्री विक्रांत पाठक पुत्र श्री सन्तराम पाठक द्वारा ग्राम बहादराबाद के खसरा न0. 51/2, 53, 54 तथा 55 में स्थित 14591.00 वर्ग मी0 भूमि पर चैरीटेबिल आई हास्पीटल के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि श्री हंस फाउण्डेशन की ओर से श्री विक्रांत पाठक पुत्र श्री सन्तराम पाठक द्वारा ग्राम बहादराबाद के खसरा नं0 51/2, 53, 54 व 55 में स्थित 14591.00 वर्गमी0 भूमि पर चैरीटेबिल आई हास्पीटल के निर्माण की स्वीकृति हेतु मानचित्र पत्रावली सं0 मा0 / हरि0 / आर.एस.-88 / 241 / 15-16 दिनांक 01.12.2015 में प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत प्रस्तावना में हास्पीटल के निर्माण के साथ डाक्टरों के हॉस्टल के निर्माण को भी प्रदर्शित किया गया है। प्राधिकरण मानचित्रकार की आवासानुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग स्थल के समुख 60.00 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग के मध्य बिन्दु से 30.00 मीटर की दूरी बाद लगभग 50.00 मी0 की गहराई तक व्यवसायिक भू-उपयोग के अन्तर्गत है, तत्पश्चात् आवासीय (आर-2) भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है। प्रस्तुत प्रस्तावना के अनुसार हास्पीटल के निर्माण का अप्रेतर कुछ भाग व्यवसायिक भू-उपयोग के अन्तर्गत तथा अधिकांश भाग आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित है। महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार हास्पीटल का निर्माण उक्त दोनों भू-उपयोगों के स्वीकार्य भू-उपयोग में अनुमन्य नहीं है। मात्र व्यवसायिक भू-उपयोग में ही हास्पीटल का निर्माण प्राधिकरण बोर्ड / नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य है। चूंकि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग मिश्रित रूप से व्यवसायिक एवं आवासीय उपयोग के अन्तर्गत है। प्रश्नगत स्थल के आवासीय भू-उपयोग को व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है। अतः प्रश्नगत स्थल के आवासीय भू-उपयोग वाले भू-भाग को व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव एवं व्यवसायिक भू-उपयोग में हास्पीटल के निर्माण की प्रस्तावना की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-63(21)

श्री गौरव जैन पुत्र श्री महेश कुमार जैन द्वारा ग्राम मनोहरपुर, परगना ज्यालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार के खसरा नक्षरा नम्बर 218, 225, 237 में स्थित भूमि जिसका क्षेत्रफल 4840.00 वर्गमीटर है पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अवारत कराना है कि श्री गौरव जैन पुत्र श्री महेश कुमार जैन द्वारा ग्राम मनोहरपुर के परगना ज्यालापुर तहसील एवं जिला हरिद्वार के खसरा नक्षर 218, 225, 237 में स्थित भूमि जिसका क्षेत्रफल 4840.00 वर्गमीटर है पर होटल निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्राधिकरण भागचित्रकार की आवाहा अनुसार प्रश्नात स्थल का भू-उपयोग स्थल के समान्य 60.00 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग के मध्य बिन्दु से 30.00 मीटर की दूरी के पश्चात आवासीय (R-2) भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है। महायोजना के पश्चेत्रीय विनियमन के अनुसार उक्त भू-उपयोग में न्यूट्रिम 18.00 मीटर चौड़े मार्ग व 1500.00 वर्ग मीटर के भूखण्ड क्षेत्रफल में होटल का निर्माण प्राधिकरण वर्द्ध/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनप्राप्त अनुमति अनुमति अनुमति अनुमति अनुमति है। युक्ति प्रश्नात सुखाड़ का क्षेत्रफल 1500.00 वर्गमीटर से अधिक 4840.00 वर्ग मीटर है। अतः उक्त आवासीय (R-2) भू-उपयोग के अन्तर्गत 1500.00 वर्ग मीटर से अधिक अथवा 4840.00 वर्गमीटर के भूखण्ड क्षेत्रफल में होटल के निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण वर्द्ध के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।



हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण

हरिद्वार

की

64वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 08.02.2018

की

पूरक एजेण्डा मद

(223)

मद संख्या-64(22)

लक्सर रोड पर डी०ए०वी० कालेज के सामने नगर निगम, हरिद्वार की स्लेज फार्म की भूमि में से लगभग 80 बीघा भूमि प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवासीय योजना एवं अन्य कार्यों हेतु हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.07.2017 के मद संख्या 16 में प्रश्नगत स्थल के हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जिसपर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अम्यूजमेन्ट पार्क एवं अन्य योजनाओं को कियान्वित करने की सहमति प्रदान की गयी थी। यहाँ यह अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10,000 भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्राधिकरण के पास उक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु लैण्ड बैंक उपलब्ध नहीं है। नगर निगम हरिद्वार द्वारा स्लेज फार्म की भूमि में से 80 बीघा भूमि प्राधिकरण को सर्किल दर पर हस्तान्तरण करने की सहमति प्रदान की गयी है। हरिद्वार महायोजना-2025 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग सीवेज फार्म है। यदि नगर निगम, हरिद्वार द्वारा उक्त भूमि को प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु हरिद्वार-रुडकी यिकास प्राधिकरण का विकाय किया जाता है तो ऐसी दशा में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग SWIST से आवासीय में परिवर्तित कराया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

१४

32

के निर्माण की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त भू-उपयोग व्यवसायिक किये जाने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-64 (21) श्री गौरव जैन पुत्र श्री महेश कुमार जैन द्वारा याम मनोहरपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार के खसरा नम्बर 218, 225, 237 में स्थित भूमि जिसका क्षेत्रफल 4840.00 वर्ग मी० है पर होटल निर्माण की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-64 (22) लक्सर रोड पर डी०ए०वी० कालेज के सामने नगर निगम, हरिद्वार की स्लेज फार्म की भूमि में से लगभग 80 बीघा भूमि प्राधिकरण को प्रधानमंत्री आवासीय योजना एवं अन्य कार्यों हेतु हस्तगत किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए सभी पहलुओं /विन्दुओं पर परीक्षण करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

मद संख्या-64 (23) नगर निगम, हरिद्वार की विभिन्न सम्पत्तियों को प्राधिकरण द्वारा क्रय किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया गया तदोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए सभी पहलुओं /विन्दुओं पर परीक्षण करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

Secretary

N
Vice Chairman

O
Chairman

१५

मद संख्या—६४(२३)

नगर निगम, हरिद्वार की विभिन्न सम्पत्तियों को प्राधिकरण द्वारा कय किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण को अपनी विभिन्न योजनाओं हेतु नगर निगम हरिद्वार की विभिन्न सम्पत्तियों को कय किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण उपरान्त प्रस्ताव नगर निगम, हरिद्वार को जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल दर पर कय किये जाने हेतु प्रेषित किया गया था, क्षेत्रफल / सर्किल दर एव मूल्य के साथ विवरण निम्नवत् हैः—

क०स०	सम्पत्ति का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मी०मे०)	दर (प्रति वर्ग मी०)	मूल्य रु०. में
01.	देवपुरा हरिद्वार स्थित बी०जे०पी० कार्यालय के बगल में।	433.85	30000.00	13015500.00
02.	देवपुरा हरिद्वार स्थित पुरानी आई०टी०आई० की जगह	1877.36	30000.00	56320800.00
03.	मायापुर में फायर स्टेशन के पीछे तथा मेयर निवास के समने स्थित भूमि।	239.88	30000.00	7196400.00
04.	मायापुर स्थित मेयर निवास योग	2997.54	30000.00	89926200.00
				16,64,58,900.00

नगर निगम, हरिद्वार द्वारा उक्त सम्पत्तियों के विक्य हेतु शासन से अनुमति उपरान्त तत्समय प्रचलित सर्किल दरों पर विक्य किये जाने की सहमति प्राधिकरण से चाही गयी है, प्राधिकरण की सहमति के उपरान्त ही नगर निगम, हरिद्वार द्वारा विक्य की अनुमति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु सूचित किया गया है।

चूंकि प्रश्नगत सम्पत्ति प्राधिकरण की योजनाओं हेतु उपयोगी है। अतः तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रत्रावली संख्या--

मद संख्या-64(24)

उषा ब्रेको द्वारा मंशा देवी रोपवे के संचालन के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि उषा ब्रेको द्वारा मंशा देवी रोपवे का संचालन किया जा रहा है। प्रश्नगत संचालन के सम्बन्ध में मैसर्स उषा ब्रेकों एवं नगर निगम हरिद्वार के मध्य अनुबन्ध का निष्पादन किया गया है। संचालन स्थल नजूल की भूमि पर स्थित है। वर्तमान में हरिद्वार ज़िले के नजूल सम्बन्धित सम्पत्तियों का स्वामित्व हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण के पास है। उषा ब्रेको एवं नगर निगम में मध्य अनुबन्धित लीज की समयावधि वर्ष 2021 में समाप्त हो रही है।

अतः प्रस्ताव है कि लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त उषा ब्रेकों के साथ लीज अनुबन्ध हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर नियम एवं शर्तें तय करते हुए सम्पादित कराया जायेगा। तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

७

मद संख्या-64(25)

हरिद्वार - रुडकी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हुडको से ऋण प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि शासन द्वारा हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण को वर्ष 2022 तक 10000 भवनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्रथम वरण में 528 भवनों का निर्माण कार्य प्राधिकरण की इन्डलोक आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत कराया जा रहा है। प्रश्नगत योजना की स्थीकृति मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान करते हुए प्रकरण भारत सरकार से सबिसडी प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.02.2018 को आहूत बैठक में प्रत्येक भवन हेतु रु0. 1.50 लाख की सबिसडी प्रदान किये जाने की सहमति दी गयी है।

अतः प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु हुडको से ऋण प्राप्त किये जाने की स्थीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

35

मद संख्या-64 (24) उषा ब्रेको द्वारा मंशा देवी दोपवे के संचालन विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रकरण के सभी पहलुओं /बिन्दुओं पर परीक्षण करते हुए प्रस्ताव को अस्वीकृत कर प्रकरण नगर निगम को सन्दर्भित किया जाये।

मद संख्या-64 (25) हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हुडको से ऋण प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सम्यक विचार-विमर्श किया गया तदोपरान्त प्रकरण के सभी पहलुओं /बिन्दुओं पर परीक्षण करने एवं प्राधिकरण में जमा धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करने के उपरान्त ही लोन ली गयी धनराशि का आहरण किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-64 (26) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

1-क्रांतिकरण महायोजना के अन्तर्मीकरण हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के सेवानिवृत्त वरिष्ठ नियोजक श्री शर्मा की सेवायें लिए जाने पर बोर्ड द्वारा सहमति दी गई तथा वित्त विभाग के आदेशानुसार भुगतान किया जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

अन्त में उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रुडकी विकास प्राधिकरण द्वारा मा० अध्यक्ष, एच०आर०डी०एव व अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

Secretary

Vice Chairman

Chairman

१५८
८